



2026:AHC-LKO:5379-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी संख्या - 492 सन 2026

विक्रम शर्मा एवं एक अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मुख्य सचिव नगर विकास विभाग

एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अवधेश कुमार पांडे, राधिका वर्मा, श्रेष्ठ श्रीवास्तव

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सतीश चंद्र कशीश, श्रीनिवास बाजपेई

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री राधिका वर्मा को, सीतापुर नगर पालिका परिषद की ओर से उपस्थित श्री सतीश चंद्र कशीश और श्रीनिवास बाजपेयी को तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. सीतापुर नगर पालिका परिषद की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं श्री सतीश चंद्र कशीश और श्रीनिवास बाजपेयी ने कहा कि उन्हें न्यायालय को सूचित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि दिनांक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



08.01.2026 की आक्षेपित सूचना वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है और वापसी का आदेश 24 घंटे के भीतर पारित कर दिया जाएगा।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, सीतापुर नगर पालिका परिषद के उपरोक्त अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए बयान के अनुसार याचिका का निस्तारण किया जाता है, जिसका पूर्णतः पालन किया जाएगा। तदनुसार आक्षेपित सूचना/आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

जनवरी 22, 2026

प्रवीण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।